




कार्यालय प्राचार्य, शासकीय लाल चक्रधर शाह महाविद्यालय
अम्बागढ चौकी, जिला-मोहला-मानपुर-अम्बागढ चौकी (छ.ग.)



email ID – principal_lcs@rediffmail.com Website – www.lcscollege.in ☎: 07747-299004

Accredited by NAAC with Grade "B+" (CGPA – 2.67)

क्रमांक / 394 / अतिथि व्याख्याता / 2023

अम्बागढ चौकी दिनांक – 11/08/2023

अतिथि व्याख्याता अध्यापन हेतु विज्ञापन

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 504/126/आउशि/राज.स्था./2023 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10/07/2023 के परिपालन में सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित विषय में सहायक प्राध्यापक विरुद्ध अतिथि व्याख्याता के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

रिक्त पदों का विवरण

1	राजनीति विज्ञान	01
	कुल	01

चयन हेतु निर्धारित मापदंड :-

- उपरोक्त पद हेतु शैक्षणिक योग्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर एवं आयुक्त, उच्च शिक्षा रायपुर के आदेश अनुसार निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रविण्यता के आधार पर अत्यर्थियों को रिक्त पदों के अनुसार अध्यापन हेतु बुलाया जा सके।
- अतिथि व्याख्याताओं को चयनित होने के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें कोई अपराधिकप्रकरण दर्ज न होना तथा किसी अन्य संस्था/महाविद्यालय में अध्यापन न करने का वचन देना होगा।
- अतिथि विद्वान नियुक्त होने पर प्रति कालखण्ड रु. 300/- तथा प्रतिदिन अधिकतम 04 कालखण्ड एवं रु. 1200/- एवं प्रतिमाह/अधिकतम रु. 31200/- सीलिंग के अधीन होंगे।
- आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक एवं स्वयं उपस्थित होकर कार्यालयीन समय पर दिनांक ~~17/8/23~~ सायं 05:00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। बाद में प्राप्त आवेदन अमान्य होंगे।
- आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर अतिथि व्याख्याता हेतु आवेदन – विषय एवं महाविद्यालय का नाम अनिवार्य रूप से लिखे।
- चयन होने पर नियुक्ति के समय आवेदकों को समस्त प्रमाण-पत्रों की सत्यप्रतिलिपि तथा मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस प्रयोजन हेतु कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएँ भविष्य में नियमितकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव के हकदार होंगे।
- चयनित पदों पर शासन द्वारा नियमित नियुक्ति होने पर अथवा किसी अन्य शिक्षक के स्थानांतरण पर आने पर यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।
- शासन के आदेश प्राप्ति पर या कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर या आवश्यकता नहीं होने पर अतिथि व्याख्याताओं की सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(डॉ. के.आर. मंडावी)

प्राचार्य

शास. लाल चक्रधर शाह महा., अं. चौकी,
जिला – मोहला-मानपुर-अं.चौकी (छ.ग.)